



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45]
No. 45]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 9, 1974/ कार्तिक 18, 1896
NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 9, 1974/KARTIKA 18, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 21st October, 1974

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर, 1974

G.S.R. 1186.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Foreigners (Protected Areas) Order, 1958 namely:—

1. This Order may be called the Foreigners (Protected Areas) Fourth Amendment Order, 1974.

2. In the Foreigners (Protected Areas) Order, 1958,

(i) in paragraph 4, the words, figures and letter "or Schedule II-A, as the case may be," shall be omitted.

(ii) in Schedule I, for the paragraph relating to "Sikkim and Bhutan"—the following paragraph shall be substituted, namely:—

"Sikkim—The Inner Line follows the southern border of Sikkim".

(iii) Schedule II-A shall be omitted.

[No. 25022/25/73-F.I.]

R. A. S. MANI, Dy. Secy.

सांख्यिकी 1187—दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा नियम, 1971 के नियम 22 के साथ पठित, इस सेवा के नियम 32 के अधीन, केन्द्रीय सरकार, दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा (परिबीक्षा, प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) विनियम, 1972 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

(1) ये विनियम दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा (परिबीक्षा, प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) संशोधन विनियम, 1974 कहलायेंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा (परिबीक्षा, प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) विनियम, 1972 के विनियम 4 के उप-विनियम (4) में,

(क) मव (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ हटा दी जायेंगी और मव (ii) और (iii) क्रमशः मव (i) और (ii) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दी जायेंगी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

नई दिल्ली 16 अक्टूबर 1974

New Delhi the 16th October 1974

सां. क्र. नि. 1194.—संविधान के अनुच्छेद 309 के पर्याप्त द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-III पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त मशाघन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्—

- (1) इन नियमों का आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती (दत्ता मशाघन) नियमावली 1974 कहा जा सकता है।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित ज्ञान की तारीख का प्रवृत्त होंगे।

2 आकाशवाणी (श्रेणी-III पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में, "फील्ड रिपोर्टर" के पद में संबंधित क्रम संख्या 61 के सम्मुख बांयम 5 तथा 8 के अन्तर्गत प्रविष्टियाँ के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्—

5	8	5	8
'100 प्रतिशत'	सीधी भर्ती के न हाने पर प्रतिनियुक्ति पर।	100 per cent"	'Failing direct recruitment on deputation"

[संख्या 1/1/74-बी (ए)]

[F No 1/4/74-B(A)]

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1974

सां. क्र. नि. 1195.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-I पद) भर्ती नियमावली, 1963 में अतिरिक्त मशाघन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्—

- 1 (1) इन नियमों का आकाशवाणी (श्रेणी I पद) भर्ती (मशाघन) नियमावली, 1974 कहा जा सकता है।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख का प्रवृत्त होंगे।

2 आकाशवाणी (श्रेणी-I पद) भर्ती नियमावली 1973 की अनुसूची में, उप विकास अधिकारी (प्रशासन) के पद में संबंधित क्रम संख्या 4 तथा इसमें संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
4 उप विकास अधिकारी	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-I राजपत्रित	900-50-1250 रु०	लाग् नही होगा	लाग् नही होगा	लाग् नही होगा
8	9	10	11	12	13	14
लाग् नही होता	लाग् नही होता	लाग् नही होता	स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार का अधीन समान पदा पर काम करने वाले अधिकारियों में। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के अधीन समान पदा पर काम करने वाले या 700-1250 रुपये के वेतनमान के पदा पर न्यूनतम दो वर्ष की सेवा रखने वाले या केन्द्रीय मन्त्रालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रंक के पदा पर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा रखने वाले अधिकारी, (सामान्यतया प्रतिनियुक्ति भी अर्थात् 3 वर्ष के अधिक नही होंगे)।	लाग् नही होता	जैसा कि मध लोक सेवा आयाग (परामर्श में छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है।

[संख्या एफ० 1/2/72-बी (ए)]

एफ० एम० टन्डन, अध्वर सचिव

New Delhi, the 19th October, 1974

G.S.R. 1195.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I posts) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class I Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, for serial No. 4 relating to the post of "Deputy Development Officer (Administration)" and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely :—

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Deputy Development Officer	One	General Central Service Class I Gazetted	Rs. 900-50-1250	Not applicable	Not applicable	Not applicable
9	10	11	12	13	14		
Not applicable	Not applicable	By transfer or by transfer on deputation.	Transfer : Officers holding analogous posts under the Central Government. Transfer on deputation: Officer under the Central Government holding analogous posts or with at least 2 years service in posts in the scale of Rs. 700-1250 or with at least 10 years service in the posts of the rank of Section Officers of the Central Secretariat Service (period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from consultation) Regulations, 1958."		

[No. F. 1/2/72-B(A)]

M.L. TANDON, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1974

सा. का. वि. 1196.—रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 की अनुसूची के पैरा 2 के उप-वैरा (2) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार का रेल मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी ग्रेड विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1972, में आगे और संशोधन करने के लिए एन.ए. द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. सञ्चित नाम और प्रारम्भ : (1) इन विनियमों को रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी ग्रेड विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) (संशोधन) विनियम, 1974 कहा जा सकेगा।

(2) ये 18 जुलाई, 1972 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे, जिसे तारीख को कि रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी ग्रेड विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1972 राजपत्र में प्रकाशित किये गये हैं।

2 उद्देशिका का संशोधन: रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी ग्रेड विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1972 (जिन्हें

एतदपश्चात् उक्त विनियम के रूप में उल्लिखित किया गया है) को उद्देशिका में 'अनुसरण में' और 'केन्द्रीय सरकार' शब्दों के बीच 'और रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की 7 मार्च 1970 की अधिसूचना सं. ई. आर. 0. 1/69 आर आर 1/3 का अधिलक्षण करने हुए' वाक्यांश अंतर्बिष्ट किया जाये।

3. विनियम 4 का संशोधन (I) उक्त विनियमों के विनियम 4 के उप विनियम (1) (11) में 'केन्द्रीय सरकार' शब्दों के बाद 'जिसमें संघ शामिल क्षेत्र प्रशासन शामिल है' शब्दों को अंतर्बिष्ट किया जाये।

(II) उप विनियम (3) में 'इस निमित्त केन्द्रीय सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाले दृष्टो या रियायतों या शर्तों के अधीन रहते हुए' वाक्यांश निकाल दिया जाये और 'द्वारा' और 'विहित' शब्दों के बीच 'समय-समय पर' शब्द अंतर्बिष्ट किये जायें।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 और रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड समित्त विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा विनियम, 1970 में की गयी व्यवस्था के अनुसार रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा आयोजित की जाने वाली थी। संघ